नम्बर /वाद 736/2021 अनवानी निरमा बनाम ताराचन्द

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
30/3/26	वकुलाय फरिकेन उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पर बहस सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र में गैरसायल संख्या 1 की पुत्री सरबती और है जिसे सहबन से दरख्वास्त में अंकित होने से रह गई है तथा सायला व सरबती का हित प्रकरण में सामान है इसलिये सरबती को बतौर पक्षकार संयोजित किया जावे ताकि प्रकरण का सही तोर से निस्तारण हो सके सरबती पुत्री हरिसिह एक सदभावी पक्षकार है नैसर्गिक एवं प्राक तिक न्याय के सिद्वान्तों के मंशा के अनुरूप प्रश्नगत प्रकरण में समुचित अवसर दिया जाना कानूनी तौर से आवश्यक है अतः प्रार्थी/वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरबती पुत्री हरिसिह को मुल वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार गैरसायल /प्रतिवादी समायोजित फरमावे। अप्रार्थी/गैरसायल/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया ने वाद दिनांक 09.08.2021 को पेश किया गया था 5 व र्ो के बाद पक्षकार बनाये जाने को निवेदन किया गया है पूर्व में पक्षकार क्यो नही बनाया गया का कोई सन्तो ाजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया है जबाब दावा पेश होने पर जबाब दावा में उज्र उठाये जाने पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा सरबती ने पक्षकार बनने का कोई भी निवेदन किया गया है इसलिये सरबती को पक्षकार नही बनाया जा सकता है वादीया ने अपने वाद में रही गलती को जबाब दावा में उज्र उठाये जाने पर संशोधन करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योगय नही होने के काण खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादीया ने अपने पिता के नाम दर्ज वाद भूमि पैत क सम्पति होने का कथन कर अपने हको की घो ाणा का वाद पेश किया गया है वादी ने अपने वाद में ताराचन्द की एक पुत्री सरबती को पक्षकार समायोजित किये बिना ही वाद पेश कर दिया गया जबकि वादी का दायित्व था की अपने पिता की भूमि में से अपने हको की घो ाणा करवाने हेतु ताराचन्द के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तभी वादीया के हको का निर्धारण किया जा सकता था। वादीया का वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने आक्षेप किया की वादीया ने अपने पिता ताराचन्द के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है अर्थात ताराचन्द की पुत्री सरबती को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है अपूर्ण पक्षकार बना कर वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब पेश होने पर तथ्यो की जानकारी होने पर वादीया ने ताराचन्द की पुत्री सरबती को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है प्रतिवादी ने अपने जबाब में आक्षेप करने पर ही वादीया ने पक्षकार बनने की कार्यवाही की गई है सरबती स्वय ने कोई प्रार्थना पत्र पक्षकार ब[illegible]श नही किया गया है। वादीया ने ता[illegible] को पक्षकार नही बनाया जाकर वाद पेश किया गया है जो वि[illegible] नही है वादीया ने वाद तथ्यो को छुपाकर पेश किया है अर्थात वादीया क्लीन [illegible] से न्यायालय में नही आई है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

हस्तगत वाद वर्तमान में साक्ष्यवादी पर विचाराधीन है अर्थात प्रकरण में जबाब दावा व तनकीयात कायम हो चुकी है यदि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो सम्पूर्ण वाद के तथ्य ही बदल जावेगे पूनः संशोधित वाद पेश करना होगा व जबाब दावा /तनकीयात भी पुनः कायम होगी अर्थात सम्पूर्ण वाद की नोईयत ही बदल जावेग जो विधि सम्मत नही है वादीया सम्पूर्ण तथ्यो/पक्षकारो के आधार पर पूनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र है हस्तगत वाद में वादीया ताराचन्द की पुत्री को पक्षकार समायोजित करवाने की अधिकारी नही है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है कि वादीया ने ताराचन्द के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया जाकर वाद पेश किया गया है जो जिसे वादीया ने स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है जबकि वादीया का दायित्व था की वह अपने हको की घो ाणा के लिये ताराचन्द के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर वाद पेश करना आवश्यक था अपूर्ण पक्षकारो के अभाव में वाद चलने योग्य नही है वादीया का वाद पक्षकारो के अभाव में चलने योग्य नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादीया का वाद पक्षकारो के अभाव में संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/3/26 लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:06 IST
Reason: SelfAttested